उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

संख्या- 06/2019/169 /92-1-2019-95आरईएस/2006टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री मो0 अकरम, अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0- अलीगढ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान-रू0 37400-67000, ग्रेड वेतन-8700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किया जाता है।

2- श्री अकरम को अनुमन्य वेतन/ मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-31120/ 2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4- अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति के उपरान्त श्री अकरम अपनी योगदान आख्या निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत करेगें तथा उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5- अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2019/169(1)/92-1-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2/ गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर अंकन प्रति।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in